GOVT. V.Y.T.P.G. AUTONOMOUS COLLEGE
DURG (C.G.)

NAAC Grade-A+, CPE Phase-III, DBT-Star College

Ph.: 0788-2359688, Fax: 0788-2359688

Website: www.govtsciencecollegedurg.ac.in

प्रोन्नति नियम

FYUP चार वर्षीय स्नातक प्रोग्राम

(में प्रवेशित सभी विद्यार्थियों हेतु)

प्रत्येक छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक सेमेस्टर के लिए निर्धारित कोर्सेस के मूल्यांकन के द्वारा किया जायेगा। किसी प्रोग्राम में प्रवेशित छात्रों का मूल्यांकन निम्नानुसार होगा –

क्रमांक	विशिष्ट	सत्र 2022–23 से नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु	सत्र 2023–24 से नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु	सत्र 2024–25 से नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु
(i)	सेमेस्टर अंत में परीक्षा	कुल अंकों का 80% अंक	कुल अंकों का 80% अंक	कुल अंकों का 70% अंक
(ii)	सतत आतंरिक मूल्यांकन (आतंरिक मूल्यांकन परीक्षा+ संगोष्ठी/प्रश्नोत्तरी/असाइन्मेंट या अन्य गतिविधि)	कुल अंकों का 20% अंक	कुल अंकों का 20% अंक	कुल अंकों का 30% अंक
(iii)	अर्हकारी अंक	कुल अंकों का 40% अंक	कुल अंकों का 40% अंक	कुल अंकों का 40% अंक

❖ प्रथम सेमेस्टर-अंत परीक्षा के तुरंत बाद छात्र को प्रोन्नत किया जाएगा और वह द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेष ले सकता है, भले ही कितने भी पेपर में बैक हो।

❖ द्वितीय सेमेस्टर-अंत परीक्षा के तुरंत बाद छात्र तृतीय सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश ले सकेगा और उसकी **तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश की पुष्टि** तभी की जाएगी जब उसके द्वारा **प्रथम और द्वितीय दोनों सेमेस्टर मिलाकर न्यूनतम 50% क्रेडिट अर्जित किए गए हों।**

❖ तृतीय सेमेस्टर-अंत परीक्षा के तुरंत बाद छात्र को प्रोन्न्त किया जाएगा और वह चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेष ले सकता है, भले ही तृतीय सेमेस्टर में कितने भी पेपर में बैक हो।

❖ चतुर्थ सेमेस्टर-अंत परीक्षा के तुरंत बाद छात्र 5वें सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश ले सकेगा और उसकी **5वें सेमेस्टर में स्थाई प्रवेश** तभी की जाएगी जब वह **तृतीय और चतुर्थ दोनों सेमेस्टर मिलाकर न्यूनतम 50% क्रेडिट अर्जित किया हो एवं प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के सभी पेपर उत्तीर्ण कर लिया हो।**

- 5वें सेमेस्टर-अंत परीक्षा के तुरंत बाद छात्र को प्रोन्नत किया जाएगा और वह 6वें सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है, भले ही 5वें सेमेस्टर में कितने भी पेपर में बैक हो।

- **विषम सेमेस्टर (I, III & V) के बैक पेपर की परीक्षाएं विषम सेमेस्टर-अंत परीक्षाओं के साथ आयोजित की जाएंगी, इसी प्रकार सम सेमेस्टर (II, IV & VI) के बैक पेपर की परीक्षाएं सम सेमेस्टर-अंत परीक्षाओं के साथ ही आयोजित की जाएंगी।**

- इसके अलावा, उन छात्रों के लिए जिन्होंने चौथे सेमेस्टर तक के सभी पेपर उत्तीर्ण कर लिए हो के **लिए 6वें सेमेस्टर के साथ 5वें सेमेस्टर की एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी।** उन छात्रों के लिए जिनके केवल छठे सेमेस्टर में बैक पेपर हैं, के लिए छठे सेमेस्टर की एक विशेष परीक्षा सेमेस्टर परिणाम घोषित होने के बाद आयोजित की जाएगी।

- **छठे सेमेस्टर तक सभी सेमेस्टर में उत्तीर्ण छात्र ही 7वें सेमेस्टर (UG के चौथे वर्ष) में प्रवेश ले सकता है।**

❖ **चौथे वर्ष (सातवे सेमेस्टर) के प्रारंभ होने से पूर्व छात्र निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करके आनर्स कोर्स चुन** सकता है। हालांकि पाठ्यक्रम का आबंटन सीटों की उपलब्धता और अन्य मानदंडों के अधीन होगा तथा HEI द्वारा तय की जाएगी। इसके अलावा, **जो छात्र प्रथम छह सेमेस्टर में 75 अंक या उससे अधिक या समकक्ष CGPA प्राप्त करते हैं और स्नातक स्तर पर शोध करना चाहते हैं, वे चौथे वर्ष में एक शोध स्ट्रीम चुन सकते हैं** और महाविद्यालय के किसी संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में शोध परियोजना या शोध प्रबंध कर सकते हैं। शोध परियोजना/शोध प्रबंध मुख्य (कोर) विषय में होगा। उनके प्रोजेक्ट कार्य के शोध परिणाम समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जा सकते हैं या सम्मेलनों/सेमिनारों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं या पेंटेंट कराए जा सकते हैं।

❖7वें सेमेस्टर-अंत परीक्षा के तुरंत बाद छात्र को प्रोन्नत किया जाएगा और वह 8वें सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश ले सकता है, भले ही 7वें सेमेस्टर में कितने भी पेपर में बैक हो।

❖ **आठवें सेमेस्टर-अंत परीक्षा के साथ सातवें सेमेस्टर के बैक पेपर वाले छात्रों के लिए सातवें सेमेस्टर की एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी।**

❖ आठवें सेमेस्टर-अंत परीक्षा के परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद **8वें सेमेस्टर की एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस विशेष परीक्षा में केवल 8 वें सेमेस्टर में बैक वाले छात्र शामिल होने के लिए पात्र होंगे।**

- अनुसंधान कार्यक्रम के साथ आनर्स प्रदान करने की मान्यता HEI को विश्वविद्यालय NEP-2020 अधिनियम के अनुसार प्रदान करेगा |

- यदि कोई छात्र अनुत्तीर्ण (detained) हो जाता है या उच्च सेमेस्टर में प्रोन्नत नहीं किया जाता है, तो उसे तब तक रोका जाएगा जब तक कि **वह बैक पेपर उत्तीर्ण कर प्रोन्नति की अर्हता पूर्ण नहीं करता है, जिसके लिए वह अगली समुचित परीक्षा में भाग ले सकता है**, बशर्ते कि यह कार्यक्रम के लिए अनुमत अधिकतम अवधि के भीतर किया गया हो। ऐसे छात्रों के आतंरिक मूल्यांकन के अंक उस संबंधित पाठ्यक्रम के लिए अग्रेषित किये जाएंगें जिसमें वह उपस्थित हो रहा है।

- क्रेडिट की गणना के लिए सैधांतिक एवम प्रायोगिक, दोनों पाठ्यक्रमों पर विचार किया जाएगा और 0.5 क्रेडिट को पूर्णांकित किया जाएगा।

- **डिग्री प्राप्त करने की अधिकतम सीमा 07 वर्ष की होगी। प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश से अवधि की गणना की जाएगी।**

टीप:- प्रोन्नति नियमों से संबंधित संशय/मार्गदर्शन हेतु महाविद्यालय के स्वशासी प्रकोष्ठ से संपर्क करें। अन्य सूत्रों से प्राप्त जानकारियों से दिग्भ्रमित न होवें।

प्राचार्य
शास. वि.या.ता.स्नातकोत्तर स्वषासी महाविद्यालय,
दुर्ग (छ.ग.)